XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यू 380–दो/15 जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/9/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 1318–एक/14 में पारित आदेश दिनांक 23.1.15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मानकर त्रुटि की है क्योंकि यह प्रकरण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का न होकर आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर सीमांकन के दौरान अनावेदकों का अवैध आधिपत्य होने के कारण संहिता की धारा 250 का है । जिसमें तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–4–14 को कब्जा हटाने के आदेश दिए साथ ही उन्होंने पटवारी को भी इस संबंध में रिर्पोट सौंपने के आदेश दिए तथा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 15–4–14 नियत की गई । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने निगरानी प्रस्तुत की थी जो आलोच्य आदेश द्वारा निराकृत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा इस न्यायालय ने भूमि को शासकीय मानते हुए दोनों पक्षों को उससे अलग रखे जाने के आदेश दिए गए हैं जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इस न्यायालय को केवल इस बिंदु पर विचार करना चाहिए था कि जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय का है वह उचित है या नहीं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बिना जांच के यह मान लेना कि भूमि शासकीय है सही नहीं है । उक्त आधार पर कहा गया कि इस न्यायालय ने विचारण बिंदु से अलग हटकर आदेश पारित किया है इस कारण इस प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है । उनके द्वारा आलोच्य आदेश के अंतिम पैरा में किए गए इस उल्लेख को कि भूमि शासन की है इसलिए किसी पक्ष का उस पर आधिपत्य	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हो तो हटाया जाये, को विलोपित करने का अनुरोध किया है ।

3/ आवेदक के तर्कों पर विचार किया । अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है इस न्यायालय के समक्ष निगरानी तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 7–4–14 के विरूद्ध पेश की गई थी जिसमें अनावेदकगण को कब्जा हटाने के आदेश दिए गए थे साथ ही पटवारी को इस संबंध में रिर्पोट पेश करने के आदेश दिए हैं एवं आगामी पेशी दिनांक 15–4–14 नियत की गई है । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें विचारण बिंदु से अलग हटकर आदेश पारित किया गया है इस कारण प्रकरण में पुनरावलोकन का पर्याप्त आधार है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23–1–15 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण निगरानी 1318–एक/14 पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । तद्नुसार यह पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है ।

सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिव्यू-380-II-15

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शाजापुर

1– जुझार सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह पंवार
2– नन्दलाल पुत्र श्री भेरू सिंह पंवार
3– खाम सिंह पुत्र श्री भेरू सिंह पंवार
निवासीगण– ईमलीखेडा, कृषक ग्राम गुनपीपली तहसील काला पीपल जिला–शाजापुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– रतनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल मीना
2– नन्नू लाल पुत्र श्री हजारी लाल मीना
3– शिवप्रसाद पुत्र श्री गौरेलाल मीना
4– मांगीलाल पुत्र श्री मुन्नालाल मीना
5– रामसिंह पुत्र श्री गंगाराम मीना
6– नारायणसिंह पुत्र श्री कालुराम गुर्जर
7– लालजीराम पुत्र श्री देवबगस बलाई
8– मदनलाल पुत्र श्री तुलसीराम चमार
9– मोतीलाल पुत्र श्री पन्नालाल ब्राहम्ण
10– रामप्रसाद पुत्र श्री चुन्नीलाल मीना
11– राप्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना
12– तेजसिंह पुत्र श्री बावलसिंह चमार
13– हरिप्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ देशवाली
14– रामकिशन पुत्र श्री बटललाल देशवली
15– घुडीलाल पुत्र श्री मुन्नालाल मीना
16– शीतलसिंह पुत्र श्री मिटठुलाल मीना
17– शिवचरण पुत्र श्री मोहनलाल बलाई
18– बापूलाल पुत्र श्री खुमानसिंह बलाई
19– देशराज पुत्र श्री कुंवरजी मीना
20– शौभराम पुत्र श्री बापूलालजी मीना
21– बद्रीप्रसाद पुत्र श्री हरजी बंजारा
22– राधेश्याम पुत्र श्री भागीरथ मीना
23– ठाकुरदास पुत्र श्री चुन्नीलाल मीना
24– कमलसिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल मीना
25– सूरजसिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल मीना
समस्त निवासीगण ग्राम गुनपीपली तहसील कालापीपल जिला–शाजापुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1318-I/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23.01.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,